Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 57-2019/Ext.] CHANDIGARH, SUNDAY, MARCH 31, 2019 (CHAITRA 10, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2019

संख्या 50/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप–धारा (1) और धारा 15 की उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, अनुसूची III–9 प्रतिशत में, खाना (1) में, क्रम संख्या 452P और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: –

(1)	(2)	(3)
"452फ	कोई अध्याय	परियोजना के निर्माण हेतु किसी प्रोत्साहक को किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय शीर्षक 2523 के अधीन आने वाले पूंजीगत माल और सीमेंट से भिन्न किसी माल के प्रदाय जिस पर हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 49/जीएसटी–2, दिनांक 31 मार्च, 2019 में यथा विहित, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप– धारा 4 के अधीन माल के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रोत्साहक द्वारा कर भुगतानयोग्य है। व्याख्या – इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए – (i) "प्रोत्साहक" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसे भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 2 के खण्ड (यट) में दिया गया है। (ii) "परियोजना" से अभिप्राय है, कोई भू–सम्पदा परियोजन (REP) या आवासीय भू–सम्पदा परियोजना (RREP) ।

(1)	(2)	(3)
″452फ	कोई अध्याय	(iii) ″भू–सम्पदा परियोजना (REP)″ का वही अभिप्राय होगा जो इसे भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 2 के खण्ड (यढ) में दिया गया है। (iv) ″आवासीय भू–सम्पदा परियोजना (RREP)″ का अभिप्राय है, भू–सम्पदा परियोजना जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया भू–सम्पदा परियोजना (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15 प्रतिशत से अधिक न हो। (अ) यह प्रविष्टि सभी मालों पर लागू किए जाने हेतु ली जानी है, जो यहां विहित शर्तों को पूरा करती है, चाहे वे इस अधिसूचना में कहीं और किसी अधिक विशिष्ट अध्याय/शीर्षक/उप–शीर्षक या टैरिफ मद द्वारा सम्मिलित किए जाएं ।

2. यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 2019 को प्रभावी होगी ।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st March, 2019

No. 50/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub- section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, in Schedule III- 9%, under column (1), (2), (3), after serial number 452P, and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"452Q	Any chapter	Supply of any goods other than capital goods and cement falling under chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975), by an unregistered person to a promoter for construction of the project on which tax is payable by the promoter as recipient of goods under sub- section 4 of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), as prescribed in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 49/GST-2, dated the 31st March, 2019. *Explanation* .For the purpose of this entry,– (i) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act 16 of 2016). (ii) "project" shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP). (iii) the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act 16 of 2016).

(1)	(2)	(3)
"452Q	Any chapter	(iv) "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 percent of the total carpet area of all the apartments in the REP. (v) This entry is to be taken to apply to all goods which satisfy the conditions prescribed herein, even though they may be covered by a more specific chapter/ heading/ sub heading or tariff item elsewhere in this notification.".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

56981—C.S.—H.G.P.,Chd.